न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 171/2020
3. उनवान : सरकार जरिये निर्मला चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   कल्याणी चाट भण्डार, सदर थाने के सामने रेल्वे स्टेशन, जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 05.07.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्रीमती निर्माला चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 30–05–2017 को शिकायत की जांच हेतु रेल्वे स्टेशन, जयपुर पर पंहुच कर कल्याणी चाट भण्डार नाम की थडी पर जांच की गई। मौके पर श्री विक्की श्रीवास्तव उपस्थित मिला जो कि घरेलू सिलेण्डर को चूल्हे से जोडकर कडाही में कचोरी बना रहा था। मौक पर एक खाली घरेलू सिलेण्डर भी पाया गया। अप्रार्थी ने उक्त सामान के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए ना ही कोई संतोषप्रद जवाब दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 2 घरेलू सिलेण्डर एचपीसी मय 5 किग्रा. एलपीजी को जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया है कि जब्तशुदा सामान को राजसात किया जाये तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 05.07.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 30–05–2017 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर श्री विक्की श्रीवास्तव घरेलू सिलेण्डर को चूल्हे से जोडकर कडाही में कचोरी बना रहा था। जब्तशुदा सामग्री के लिये अप्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये ना ही संतोषप्रद जवाब दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थी के स्वयं के द्वारा जब्त सामान को राजसात करने की स्वीकृती दी गई है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 2 घरेलू सिलेण्डर एचपीसी मय 5 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।